

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—41/2022 (2022/92) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कंकु पत्नि रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कंचन पुत्री रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. किशननाथ पिता सुरेशनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रभुनाथ पिता रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भंवरनाथ पिता रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मिठुनाथ पिता सुरेशनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. पप्पुनाथ पिता मिठुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रतननाथ पिता मिठुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोपालनाथ पिता मिठुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. घीसानाथ पिता रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गोपारावल पिता नाथुरावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गोरखनाथ पिता गोकलनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मांगुनाथ पिता भूर नाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सोहननाथ पिता हजारी नाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. शम्भुनाथ पिता भूरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 31.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 130 में अकिंत आराजी संख्या 79 रकबा 0.81 है0, आराजी संख्या 28/634 रकबा 0.09 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.90 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। इसी तरह खाता संख्या 230 में अकिंत आराजी संख्या 30 रकबा 0.66 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रार्थीगण के द्वारा नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान



आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 20.1.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 20.01.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 130 में अंकित आराजी संख्या 79 रकबा 0.81 है०, आराजी संख्या 28/634 रकबा 0.09 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 है० भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। इसी तरह खाता संख्या 230 में अंकित आराजी संख्या 30 रकबा 0.66 है० भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रुपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(Signature)
31.3.2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर मालवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—41/2022 (2022/92) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कंकु पत्नि रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कंचन पुत्री रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. किशननाथ पिता सुरेशनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रभुनाथ पिता रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भंवरनाथ पिता रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मिठुनाथ पिता सुरेशनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. पप्पुनाथ पिता मिठुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रतननाथ पिता मिठुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोपालनाथ पिता मिठुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. धीसानाथ पिता रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गोपारावल पिता नाथुरावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गोरखनाथ पिता गोकलनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मांगुनाथ पिता भूर नाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सोहननाथ पिता हजारी नाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. शम्भुनाथ पिता भूरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 31.03.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 130 में अकिंत आराजी संख्या 79 रकबा 0.81 है0, आराजी संख्या 28/634 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। इसी तरह खाता संख्या 230 में अकिंत आराजी संख्या 30 रकबा 0.66 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।



(Signature)
31-3-2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा